



सार्वजनिक सूचना

दिनांक 27.03.2026 को रामनवमी (सार्वजनिक अवकाश) घोषित होने के कारण उक्त दिनांक को सुनवाई कक्ष संख्या एस-11 में सूचीबद्ध शिकायतों एवं द्वितीय अपीलों की सुनवाई 04.06.2026 नियत की जाती है, वादों की अद्यतन स्थिति आयोग की वेबसाइट upic.gov.in एवं upsic.up.gov.in का अवलोकन कर ज्ञात की जा सकती है।

आज्ञा से
मा० राज्य सूचना आयुक्त।


पेशकार

प्रतिलिपि: सर्वर रूम एवं सी०आर०एम० सेल को तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।


पेशकार

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक: 373 / उ0प्र0सू0आ0 / अधिष्ठान / 146 / 2014


दिनांक: 25 मार्च, 2026

कार्यालय - ज्ञाप

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या-3/1099/641/2019-सामान्य प्रशासन अनुभाग-1 दिनांक 25 मार्च, 2026 के द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर दिनांक 26 मार्च, 2026 (दिन गुरुवार) को निगोशियेबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा दिनांक 27 मार्च, 2026 (दिन शुक्रवार) को भी रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दिनांक 27 मार्च, 2026 (दिन शुक्रवार) को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

संलग्नक: यथोक्त



(तेजस्कर पाण्डेय)

उपसचिव

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
02. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग।
03. सचिव/रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार/उप सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
04. समस्त अनुभाग, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
05. आई0टी0 सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को ग्रुप मैसेज एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशन करें।


(तेजस्कर पाण्डेय)

उपसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2026

विज्ञप्ति

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या- 671 /तीन -2025- 39 (2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 हेतु घोषित अवकाशों की सूची के प्रस्तर- 2 (1) में वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाश की सूची में निगोशियेबुल इन्सूट्रमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन दिनांक 26 मार्च, 2026 को राम नवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में ही दिनांक 27 मार्च, 2026 को भी निगोशियेबुल इन्सूट्रमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन राम नवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में राम नवमी के पावन अवसर पर दिनांक 27 मार्च, 2026 (दिन शुक्रवार) को भी निगोशियेबुल इन्सूट्रमेन्ट एक्ट, 1881 के अधीन एतद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

3- तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-671 / तीन-2025-39 (2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

Digitally signed by
MANEESH CHAUHAN
Date: 25-03-2026
16:24:12

(मनीष चौहान)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, 30प्र0।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 4- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 5- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज ।
- 6- महालेखाकार, 30प्र0 प्रयागराज।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 8- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा, 30प्र0 ।
- 9- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यो का विभाग, नई दिल्ली।
- 10- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- प्रबन्धक एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-बैंक आफ बड़ौदा , आंचलिक कार्यालय, 45, भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्डिंग , हजरतगंज, लखनऊ।
- 12- क्षेत्रीय निदेशक, 30प्र0 एवं उत्तराखण्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर-208001 ।
- 13- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रसार एवं प्रचार कराने हेतु।
- 14- महाप्रबन्धक, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, गोमती नगर, लखनऊ।
- 15- कुलपति, डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- 16- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
Digitally signed by
BRIJESH KUMAR
Date: 25-03-2026
(ब्रिजेश कुमार)
उप सचिव।